उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–71/2023–24

सरकार

बनाम्

मुकेश कु0 रंजन

–: आदेश :–

दिनांक 16/1/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड संख्या–22/2023 दिनांक–22.08.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–4744/अप0शा0 दिनांक–06.11.2023 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रक निबंधन संख्या–BR10GB-3279 तथा उस पर लदे स्टोन–चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक निबंधन संख्या–BR10GB-3279, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से स्टोन–चिप्स की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक निबंधन संख्या–BR10GB-3279, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रक निबंधन संख्या–BR10GB-3279, के मालिक मुकेश कुमार रंजन, पे0–घनश्याम मिस्त्री, C/O-दीपेश कुमार, पे0–अजयकर चौधरी, मकंदपुर, रणनुचक, नाथनगर, भागलपुर एवं वार्ड नं0–03, कुष्णा टोला चौसा, पूर्व मधेपूरा, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने

कांड में ट्रक निबंधन संख्या–BR10GB-3279 एवं उस पर लदे स्टोन–चिप्स के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया।

विपक्षी मुकेश कुमार रंजन का कथन है कि विपक्षी के जप्त वाहन के द्वारा अवैध कागजात के आधार पर खनिज का परविहन किया जा रहा था। विपक्षी के द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्हें जिला जज, गोड्डा के द्वारा जमानत दे दिया गया है। इसलिए विपक्षी के जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के ए0बी0ए0 नं0–4737/2023 के आदेश दिनांक–02.06.2023 के द्वारा अग्रिम जमानत मिल गया है। विपक्षी का उक्त जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है एवं विपक्षी न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन–चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से स्टोन–चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर बलबड्डा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त ट्रक निबंधन संख्या–BR10GB-3279, को स्टोन–चिप्स चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे स्टोन–चिप्स के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से स्टोन–चिप्स का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन

पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दुगुनी राशि	संलिप्पता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
BR10GB-3279	00	900	30780.00	61560.00	00	61560.00

एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त ट्रक निबंधन संख्या–BR10GB-3279; को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे स्टोन–चिप्स को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

16/01/24

उपायुक्त,
गोड्डा।

16/01/24

उपायुक्त,
गोड्डा।

Confiscation No. 71-2023-24

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 14:14:25 +05:30
Location: 192.168.1.55